



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911



क्षेत्रीय कार्यालय -जबलपुर

पता: ॥ तल, साउथ एवेन्यू मॉल के सामने, पोलिपाथर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर (म.प्र.) 482008

सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन 15 दिनों की विक्रय सूचना

प्रति,		उधारकर्ता/ बंधककर्ता
(1)	श्री उमेश सिंह राजपूत पिता स्व० राम आशीष सिंह पता- म.क्र. 311, दीवानबाड़ा मॉनेगाँव, राँझी, मॉनेगाँव, खमरिया, जबलपुर, म.प्र. 482005	

विषय: ई-नीलामी विक्रय नोटिस-खाता क्र - 4014065168

जबकि आप उपरिनिर्दिष्ट ऋणकर्ता/जमानतदार/संपत्ति बंधककर्ता है एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के सहपठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) अंतर्गत जारी नोटिस दिनांक 11/09/2024 तथा तत्पश्चात धारा 13(4) के अंतर्गत जारी कब्जा नोटिस दिनांक 03/12/2024 की सूचना के बावजूद आज दिनांक तक बकाया रकम का प्रतिदाय करने में असफल रहने पर, प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिभूत आस्ति/स्थावर संपत्ति का विक्रय नीलामी के माध्यम से दिनांक 25/08/2026 (दोपहर 12.30 से अप्रान्ह 5 बजे) को किया जाना प्रस्तावित है। नीलामी सूचना का प्रकाशन विभिन्न समाचार पत्रों में किया जाएगा।

एतद्वारा आपको 15 दिनों का नोटिस दिया जाता है कि आप बकाया राशि के साथ सभी व्यय प्रभार तथा लागत का भुगतान कर प्रतिभूति का मोचन कर लें अन्यथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम के प्रावधानों तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार बकाया राशि की वसूली हेतु उपरोक्त निर्धारित तिथि को नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी।

स्थावर संपत्ति का विवरण:

ऋण खाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति- दाता/ जमानतदार	मांग/ बकाया राशि	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण/ कब्जे का प्रकार
श्री उमेश सिंह राजपूत पिता स्व० राम आशीष सिंह (उधारकर्ता/ बंधककर्ता) पता- म.क्र. 311, दीवानबाड़ा मॉनेगाँव, राँझी, मॉनेगाँव, खमरिया, जबलपुर, म.प्र. 482005 संबंधित शाखा : गोकलपुर	रु 8,20,102.00/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	स्थावर संपत्ति का विवरण: संपत्ति ऐसे सभी भाग, जिसमें मौज़ा- मॉनेगाँव, न. ब. 681, प.ह.नं. 14, रा. नि. म. जबलपुर-2 तहसील व जिला जबलपुर, खसरा नं. 7/28 एवं डायवर्टेड खसरा नं. 7/28 का भाग रकबा 16 X 50 कुल एरिया 800 वर्गफुट यानि 74.349 वर्गमीटर जो कि नगर निगम वार्ड नं. 70 जबलपुर में स्थित है। संपत्ति स्वामी/ बंधककर्ता: श्री उमेश सिंह राजपूत पिता स्व राम आशीष सिंह चतुःसीमा: उत्तर-विक्रेता की संपत्ति, पूर्व - साइड रोड, दक्षिण- उमेश सिंह राजपूत की संपत्ति, पश्चिम- साइड रोड भौतिक कब्जा

स्थान: जबलपुर (म.प्र.)
तिथि: 04/08/2026




प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया